छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था /2018 रायपुर, दिनांक /2018

// कार्यालय आदेश//

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र के दौरान जिस दिन सभा की बैठक होगी, उन दिनों में विधान सभा सचिवालय का कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा, किन्तु यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है तो कार्यालय का समय सभा की बैठक समाप्त होने के एक घण्टे पश्चात् तक रहेगा ।

दिनांक 06 जनवरी, 2019 को कार्यालय का समय प्रातः10.30 बजे से सायं 05.30 बजे तक तथा दिनांक 04.01.2019 को प्रातः 09.30 बजे से 05.30 बजे तक या कार्य समाप्ति तक रहेगा ।

समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् भी सचिव महोदय की अनुमति प्राप्त कर एवं शेष समस्त अधिकारी /कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे ।

समस्त अधिकारी/ कर्मचारी उन्हें प्रदायित ब्लेजर में दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय आयेंगे । समस्त वाहन चालक /चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किए गए निर्धारित ड्रेस, जूते एवं टोपी पहनकर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

सत्र के दौरान घड़ी चौक एवं सिद्धार्थ चौक जाने वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 30 मिनट पश्चात् तथा विजेता काम्पलेक्स जाने वाली मिनी बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 01 घण्टे पश्चात् रहेगा ।

आदेश से

(हस्ताक्षर)

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 2126 /वि.स./स्था /2018 रायपुर, दिनांक 29/12/2018

प्रतिलिपि

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान.अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. सचिव, छ.ग विधान सभा सचिवालय के निज सचिव को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. समस्त अधिकारी /कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
04. सर्वर कक्ष ।

(हस्ताक्षर) 28/12/18

अनुभाग अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा

C:\Users\win7\Documents\order and karyalya suchana.docx193